

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 718/2021

अनवान : -

1. हारून खां पुत्र गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील तहसील नोहर।
2. सलामु पुत्र गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. आसमा पत्नी गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
2. सकीना पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
3. मदीना पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
4. मैमुना बानो पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
5. फारुक अली पुत्र हलीमा पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
6. जाबेदा बानो पुत्री हलीमा पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
7. उजमा बानो पुत्री हलीमा पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
8. नेक मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
9. रसीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
10. फरीद खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
11. मकबुल पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
12. आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
13. अब्दुल हमीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
14. जुबेदा पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
15. आमना पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर।
16. निशा बेवा नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 23 नोहर तहसील नोहर-फौत
17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
18. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955



उपस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया अर्थात् वादी
पेरोकार राज


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 58 की कुल 1.8970 हैक्ट एवं रोही मौज 25 एनटीआर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता संख्या 65 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि मे से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 गफुरदीन के नाम 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 16 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गफुरदीन के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 गफुरदीन के नाम 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 16 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। वादीगण के पिता गफुरदीन का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनकी एक पुत्री हलीमा भी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है। उक्त वाद भूमि के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 13 ता 16 एक ही परिवार के सदस्य है जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 के भाई बहिन व बुआ व भतीजा भाई की पत्नी व भाई की पुत्री है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 13 ता 16 अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह व मोह रखते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 13 ता 16 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख 8 ता 12 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद भूमि का बहामी बंटवारानामा कर रखा है मुताबिक बंटवारानामा के अनुसार ही काश्त करते है जो कि निम्न प्रकार से है-

रोही मौजा चक 23 तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/432(64) के किला 11-12 की 0.506 हैक्ट नहरी भूमि वादीगण के पास रहेगी एवं प0न0 334/432(64) के किला न0 1-2 की 0.506 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के पास रहेगी तथा 334/431(46) के किला न0 21 की 0.1260 हैक्ट, किला न0 22 की 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प0न0 334/431(36) के किला न0 21 की 0.1260 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के पास रहेगी एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58 के प0न0 334/432 के मु0न0 64 के किला न0 9-10 की 0.5060 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के पास रहेगी तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प0न0 333/432(37) के किला न0 6-7 की 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के पास रहेगी। रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 65 के प0न0 333/432(37) के किला न0 14 - 15 की 0.5060 हैक्ट भूमि रहेगी एवं जमाबंदी से प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 व व गफूरदीन पुत्र नूरमोहम्मद का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जाकर इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 15 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया की पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा चक 23 तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प०न० 334/432(64) के किला 11-12 की 0.506 हैक्ट नहरी भूमि वादीगण के पास रहेगी एवं प०न० 334/432(64) के किला न० 1-2 की 0.506 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के पास रहेगी तथा 334/431(46) के किला न० 21 की 0.1260 हैक्ट, किला न० 22 की 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प०न० 334/431(36) के किला न० 21 की 0.1260 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के पास रहेगी एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प०न० 333/432(37) के किला न० 6-7 की 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के पास रहेगी। रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 65 के प०न० 333/432(37) के किला न० 14-15 की 0.506 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के पास रहेगी एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 व गफुरदीन का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जावे। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी व मृत्यु प्रमाण पत्र गफुरदीन, मृत्यु प्रमाण हलीमा, वारिस प्रमाण पत्र गफुरदीन आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 गफुरदीन के नाम 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 16 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। वादीगण के पिता गफुरदीन का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनकी एक पुत्री हलीमा भी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है। उक्त वाद भूमि के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 13 ता 16 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख 8 ता 12 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 58 की कुल 1.8970 हैक्ट एवं रोही मौजा 25 एनटीआर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता संख्या 65 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 गफुरदीन के नाम 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 16 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता गफुरदीन का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनकी एक पुत्री हलीमा भी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है। उक्त वाद भूमि के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 13 ता 16 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद भूमि का बहामी बंटवारानामा कर रखा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जावे वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसानामा एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार गफुरदीन के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/432(64) के किला 11-12 की 0.5060 हैक्ट भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 23 तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/432(64) के किला न0 1-2 की 0.5060 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/431(46) के किला न0 21 की 0.1260 हैक्ट, किला न0 22 की 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प0न0 334/431(36) के किला न0 21 की 0.1260 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/432(64) के किला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न० 9-10 की 0.5060 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प०न० 333/432(37) के किला न० 6-7 की 0.506 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प०न० 333/432(37) के किला न० 14 की 0.241 हैक्ट, 15 की 0.2280 हैक्ट नहरी भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आमीन के प०न० 333/432 मु०न० 37 के किला न० 14-15 में पश्चिम से पूर्व 1-1 बिस्वा गैर मु० रास्ता किला न० 15 में से 1 बिस्वा रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ उपर मकबुल की भूमि तक 3 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 व मृतक निशा व गफुरदीन का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 718/2021
अनवान : -

1. हारून खां पुत्र गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील तहसील नोहर।
2. सलामु पुत्र गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. आसमा पत्नी गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
2. सकीना पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
3. मदीना पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
4. मैमुना बानो पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
5. फारुक अली पुत्र हलीमा पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
6. जाबेदा बानो पुत्री हलीमा पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
7. उजमा बानो पुत्री हलीमा पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
8. नेक मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
9. रसीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
10. फरीद खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
11. मकबुल पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
12. आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
13. अब्दुल हमीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
14. जुबेदा पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
15. आमना पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
16. निशा बेवा नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स० 23 नोहर तहसील नोहर।
17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
18. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 718 सन 2021 निर्णय दिनांक - 04/04/2021

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प०न० 334/432(64) के किला 11-12 की 0.5060 हैक्ट भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 23 तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प०न० 334/432(64) के किला न० 1-2 की 0.5060 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 8 को खातेदार कातशकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/431(46) के किला न0 21 की 0.1260 हैक्ट, किला न0 22 की 0.2530 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प0न0 334/431(36) के किला न0 21 की 0.1260 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58 के प0न0 334/432(64) के किला न0 9-10 की 0.5060 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प0न0 333/432(37) के किला न0 6-7 की 0.506 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 के प0न0 333/432(37) के किला न0 14 की 0.241 हैक्क्ट, 15 की 0.2280 हैक्ट नहरी भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा आमीन के प0न0 333/432 मु0न0 37 के किला न0 14-15 में पश्चिम से पूर्व 1-1 बिस्वा गैर मु0 रास्ता किला न0 15 में से 1 बिस्वा रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ उपर मकबुल की भूमि तक 3 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 व मृतक निशा व गफुरदीन का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/06/14 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर